CEM/I/208
18/8/16

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

CEM/FA&CAO
17-8-16

क्रमांकः प.12(11)नविवि/I/2013-पार्ट

दिनांकः 17-8-16

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

~~सचिव,~~
राजस्थान आवासन मण्डल, 16 AUG 2016
जयपुर।

नगर विकास न्यास,
आबू/अलवर/बाड़मेर/भरतपुर/भिवाड़ी/भीलवाड़ा
बीकानेर//चित्तौड़गढ़/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/कोटा/
पाली/सवाईमाधोपुर/सीकर/उदयपुर।

AHO
22-8-16

विषयः- लीज मनी की वसूली के संबंध में।

recy-6451
17/08/16

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7(4) के अनुसार नगरीय निर्धारण प्राप्तियां/लीज राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराने के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक न्यास कोष में जमा करवाई जानी चाहिए। वसूल की गई लीज राशि में से राज्यांश यथा-समय राजकोष में जमा कराने बाबत् इस विभाग के पत्रांकः प.3(98)नविवि/3/2012 दिनांक 08.06.2015 तथा प.12(8)नविवि/1/2012पार्ट दिनांक 06.06.2016 के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि नगर विकास न्यासों द्वारा निर्धारितियों से वसूल की गई लीज राशि में से राज्यांश प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। बावजूद इसके यह देखने में आया है कि लीज राशि की वसूली समय पर नहीं की जा रही है तथा प्राप्त लीज राशि में से राज्यांश भी समय पर राजकोष में जमा नहीं कराया जा रहा है। इस वजह से महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के जांच दलों द्वारा आक्षेप गठित किये जा रहे है तथा जनलेखा समिति द्वारा दिनांक 24.06.2016 को लिए गये साक्ष्य में भी इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिये हैं। अतः लीज राशि की वसूली तथा प्राप्त लीज राशि में से राज्यांश राजकोष में जमा कराने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः-

1. लीज धारकों तथा उनसे वसूल की जाने वाली लीज राशि व बकाया लीज राशि के आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जावे।
2. लीज धारकों एवं वसूल की जाने वाली लीज राशि के प्रकरणों का शीघ्र कम्प्यूटराईजेशन किया जावे तथा भूखण्ड/भवन आवंटियों के बकाया एवं जमा विवरण का सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जावे।
3. लीज राशि की वसूली हेतु लीज राशि की सही मांग कायम कर लीज धारकों को यथा-समय नोटिस जारी किये जावें।
4. प्राप्त लीज राशि में से यदि राज्यांश जमा कराया जाना बकाया है तो तुरन्त जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. प्राप्त लीज राशि में से राज्यांश राजकोष में जमा कराने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सख्ती से करवाई जावे। इसमें लापरवाही करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

(मुकेश शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

कृपया पन्ना पलटिये -2-

पुनि/अ/मु.स.प्र./2016/550 दिनांक 2-9-2016

पेज कमांक (2)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... रा0आ0म0 ....
7. समस्त आवासीय अनियन्ता, खण्ड......................., रा0आ0म0 ....
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)

कम्प्यूटर प्रको०

pc I D:/New Work/Office Order-2016